हिमाचल प्रदेश

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

6 – 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम-2009

(गतांक से आगे)

नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम-2009 के सात अध्यायों में से तीन अध्याय आपने पिछले अंक में पढ़े। इस अंक में शेष चार अध्यायों की जानकारी दी जा रही है।

अध्याय 4

विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व

12. नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्व की सीमा–

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए –

(क) धारा 2 के खंड (एन) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट कोष विद्यालय, उसमें प्रविष्ट सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा।

(ख) धारा 2 के खंड (एन) के उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, उसमें प्रविष्ट सभी बच्चों को इस अनुपात तक, नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा जो इस प्रकार प्राप्त इसकी वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान का उसके वार्षिक आवर्ती व्यय में वहन किया जाता है जो न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत हो।

(ग) धारा 2 के खंड (एन) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय पहली कक्षा में, कमजोर वर्ग और वंचित समूह के उस कक्षा के बच्चों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, व्यवस्था करेगा।

साथ ही यह भी कि जहां धारा 2 के खंड (एन) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, विद्यालय पूर्व शिक्षा देता है वहां खंड (क) से खंड (ग) के प्रावधान ऐसी विद्यालय पूर्व शिक्षा में प्रवेश के लिए लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी धारा 2 के खंड (एन) के उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय को राज्य द्वारा किया गया प्रति बच्चे व्यय या बच्चे से ली गई वास्तविक राशि इनमें से जो भी कम हो, उसकी प्रतिपूर्ति निर्धारित तरीके से की जाएगी : बशर्ते यह प्रतिपूर्ति धारा 2 के खंड (एन) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय द्वारा प्रति बालक किए गए व्यय से अधिक नहीं होगी:

परन्तु हां ऐसा विद्यालय जिसे कोई भूमि, भवन, उपकरण या अन्य सुविधाएं या तो नि:शुल्क या रियायती दर पर प्राप्त हुई है जिसके परिणामस्वरूप वह स्कूल निर्धारित संख्या में बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हो वह विद्यालय ऐसी बाध्यता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा।

(3) प्रत्येक विद्यालय ऐसी जानकारी जो, यथास्थिति, उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएगा।

13 प्रवेश के लिए किसी प्रकार के कैपिटेशन शुल्क और चयन प्रक्रिया का न होना

(1) कोई विद्यालय या व्यक्ति किसी बच्चे को प्रवेश देते समय किसी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चे या उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को किसी चयन प्रक्रिया के लिए बाध्य करेगा।

(2) कोई विद्यालय या व्यक्ति,यदि उपधारा (1) के प्रावधानों की उल्लंघना करता है।

(क) कैपिटेशन शुल्क प्राप्त करता है तो वह लिए गए कैपिटेशन शुल्क के दस गुना तक के जुर्माने से दंडित होगा।

(ख) किसी बच्चे को चयन प्रक्रिया के लिए बाध्य करता है तो उसे पहली गलती पर पच्चीस हजार तक और उसके आगे प्रत्येक गलती के लिए पचास हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा।

14. प्रवेश के लिए आयु प्रमाण–

(1) प्रारम्भिक शिक्षा में प्रवेश के लिए किसी बच्चे की आयु को जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 (1886 का 6) के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र या इस प्रकार के अन्य ऐसे दस्तावेज के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

(2) किसी बच्चे को आयु के प्रमाण के न होने पर विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा।

15. प्रवेश से इनकार न किया जाना–

बच्चे का शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ या ऐसी निर्धारित बढ़ी हुई अवधि के भीतर किसी भी विद्यालय में दाखिला किया जाएगा।

परन्तु बढ़ी हुई अवधि के पश्चात् भी किसी बालक को प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी कि बढ़ाई गई अवधि के पश्चात् प्रविष्ट किया गया कोई बच्चा उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से अपना अध्ययन पूरा करेगा।

16. कक्षा में रोकने और निष्कासन पर प्रतिबंध –

किसी विद्याालय में प्रविष्ट बच्चे को किसी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा या विद्याालय से प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा।

17. बच्चे को शारीरिक दंड और उसके मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध –

(1) किसी बच्चे को शारीरिक दंड या उसका उत्पीड़न नहीं किया जायेगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा उस पर लागू सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

18. मान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना विद्यालय की स्थापना नहीं –

(1) उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय के अतिरिक्त कोई भी विद्यालय, इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् स्थापित नहीं किया जाएगा। जब तक कि वह निर्धारित किए गए प्रपत्र एवं तरीके से आवेदन कर मान्यता प्रमाण पत्र नहीं ले लेता।

(2) उपधारा (1) के तहत विहित प्राधिकारी ऐसे प्रारूप में, ऐसी अवधि के भीतर, ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों के तहत, जो विहित की जाए, मान्यता प्रमाणपत्र जारी करेगा।

साथ ही यह भी कि किसी विद्यालय को मान्यता तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वह धारा 19 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों और मापदण्डों को पूरा नहीं करता है।

(3) मान्यता की शर्तों के उल्लघंन पर विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा मान्यता वापस ले लेगा:

परन्तु ऐसे आदेश में यह निर्देश दिया जाएगा कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय के बच्चे आसपास के किस स्कूल में प्रवेश लेंगे।

परन्तु ऐसे निर्धारित तरीके से स्कूल को पक्ष रखने का मौका दिए बिना उसकी मान्यता रद्द नहीं की जाएगी।

(4) उपधारा (3) के तहत मान्यता वापस लेने की तारीख से वह स्कूल आगे जारी नहीं रह सकता।

(5) कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना कोई विघालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात् विद्यालय चलाना जारी रखता है उसे, एक लाख रूपये तक का जुर्माना होगा और निरंतर उल्लंघन करते रहने की दशा में, उल्लंघन के दौरान प्रत्येक दिन दस हजार रूपये तक का जुर्माना देना होगा।

19. विद्यालय के लिए मानक और मापदण्ड –

(1) किसी विद्यालय की धारा 18 के तहत तब तक स्थापना या मान्यता नहीं होगी जब तक वह अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मानकों और मापदण्डों को पूरा नहीं करता है।

(2) जहां इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व स्थापित कोई विद्यालय अनुसूची में दिए गए मानक और मापदण्डों को पूरा नहीं करता है, वह अधिनियम के लागू होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपने ही खर्च पर ऐसे मानक और मापदण्डों को पूरा करने के लिए कदम उठाएगा।

(3) जहां कोई विद्यालय, उपधारा (2) के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मानक और मापदण्डों को पूरा करने में असफल रहता है, वहां धारा 18 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी, विद्यालय को दी गई मान्यता को उपधारा (3) के तहत विनिर्दिष्ट तरीके से वापस ले लेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख के बाद कोई भी विद्यालय नहीं चलाया जाएगा।

(5) कोई व्यक्ति, जो मान्यता वापस लेने के पश्चात् विद्यालय चलाना जारी रखता है, उसे एक लाख रूपये तक का जुर्माना होगा और निरंतर उल्लंघन करने की दशा में उसे इस दौरान प्रत्येक दिन दस हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

20. अनुसूची के संशोधन की शक्ति:– केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी मानक और मापदण्ड को अनुसूची में जोड़कर या निकालकर उसका संशोधन कर सकती है।

21. **विद्यालय प्रबंधन समिति :–**

(1) धारा 2 के खंड (एन) के उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय के अतिरिक्त कोई अन्य विद्यालय, स्थानीय प्राधिकारी के निवार्चित प्रतिनिधियों, विद्यालय में प्रविष्ट बच्चों के माता-पिता या संरक्षक और शिक्षकों की एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करेगा।

बशर्ते ऐसी समिति के कम से कम तीन-चौथाई सदस्य माता-पिता या संरक्षक होंगे; और यह भी कि वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के माता-पिता या संरक्षकों को समान अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा :

यह भी प्रावधान है कि ऐसी समिति के सदस्यों का पचास प्रतिशत महिलाएं होंगी।

(2) विद्यालय प्रबंधन समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, :–

(क) विद्यालय की कार्यप्रणाली को मॉनीटर करना;

(ख) विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;

(ग) उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनीटर करना; और

(घ) ऐसे अन्य निर्धारित किए गए कृत्यों का पालन करना।

22. **विद्यालय विकास योजना :–**

(1) धारा 21 की उपधारा (1) के तहत गठित प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन समिति निर्धारित तरीके से एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई विद्यालय विकास योजना, यथास्थिति उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकारी जो भी हो उसके द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं और दिए जाने वाले अनुदानों का आधार होगी।

23. **शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें–**

(1) कोई व्यक्ति, जिसके पास केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा रखी गई ऐसी न्यूनतम अर्हताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(2) जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं है या उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम योग्यताएं रखने के लिए शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं वहां केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा शिक्षक की नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यताओं में एक अवधि के लिए छूट दे सकती है, जो पांच वर्ष से अधिक न हो और यह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु ऐसा शिक्षक , जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम योग्यताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करेगा।

(3) शिक्षक को देय वेतन और भत्ते तथा उसके सेवा के निबंधन और शर्तें वही होंगी जैसे कि निर्धारित की जाएंगी।

24. शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निराकरण :–

(1) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्:–

(क) विद्यालय उपस्थिति में नियमितता और समय की पाबंदी;

(ख) धारा 29 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना;

(ग) विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना;

(घ) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य का निर्धारण करना और उसके अनुसार यदि आवश्यक हो अतिरिक्त शिक्षण, प्रदान करना

(ड) माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बच्चे की नियमित उपस्थिति के बारे में, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य संबंधित जानकारी से उन्हें अवगत कराना;

(च) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन में दोषी पाए जाने वाले शिक्षक पर लागू सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी :

परन्तु ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पूर्व ऐसे शिक्षक को सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिया जाएगा।

(3) शिक्षक की शिकायतें यदि कोई हों, निर्दिष्ट तरीके से दूर की जाएंगी।

25. छात्र-शिक्षक अनुपात–

(1) इस अधिनियम के लागू होने के छ: मास के अन्दर उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार बनाए रखा जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के उद्देश्य से किसी विद्यालय में पदस्थापित किए गए किसी शिक्षक को किसी अन्य विद्यालय में सेवा नहीं करने दी जाएगी या धारा 27 में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से हटकर किसी गैर-शिक्षक प्रयोजन के लिए नहीं भेजा जाएगा।

26. शिक्षकों की रिक्तियों को भरना –

उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करवाई गई निधियों द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूरी तरह वित्तपोषित किसी स्कूल के संबंध में नियोक्ता प्राधिकारी सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रण में किसी स्कूल में अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या कुल स्वीकृत पद संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक न हो ।

27. गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को लगाने पर प्रतिबंध– किसी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों अथवा जैसा भी हो, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान सभा या संसद के निर्वाचन से संबधित कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के लिए नहीं लगाया जाएगा।

28. शिक्षक द्वारा प्राईवेट टयूशन पढ़ाने पर प्रतिबंध– कोई शिक्षक/शिक्षिका प्राईवेट टयूशन या प्राईवेट शिक्षण क्रियाकलाप में संलिप्त नहीं होगा/होगी।

> **हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से दिलाने के लिए बनाया गया 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009'**

अध्याय 5

प्रारंभिक शिक्षा का पाठयक्रम और इसका पूरा किया जाना

29. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया:–

(1) प्रारंभिक शिक्षा के पाठयक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से किए निर्धारित शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) शिक्षा प्राधिकारी उपधारा (1) के तहत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया तय करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा:–

(क) संविधान में निहित मूल्यों से अनुरूपता;

(ख) बच्चे का सर्वांगीण विकास;

(ग) बच्चे के ज्ञान, संभावित क्षमता व योग्यता का विकास;

(घ) पूर्णतम मात्रा तक शारीरिक और मानसिक योग्ताओं का विकास;

(ड़) बाल अनुकुल और बालकेन्द्रित रीति में क्रियाकलापों, अन्वेषण और खोज के द्वारा शिक्षण;

(च) शिक्षा का माध्यम जहां तक संभव हो बच्चे की मातृभाषा में होगा;

(छ) बच्चे को भय, मानसिक सदमा और चिंतामुक्त बनाना और उसे स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना;

(ज) बच्चे के समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत् मूल्यांकन।

30. परीक्षा और समापन प्रमाणपत्र –

(1) किसी बच्चे से प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उतीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) प्रत्येक बच्चे को, जिसने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर ली है, निर्धारित प्रारूप और तरीके से एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

अध्याय 6

बाल अधिकार का संरक्षण

31. बच्चे के शिक्षा के अधिकार को मॉनीटर करना.–

1. यथास्थिति, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3 के तहत गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 17 के अधीन गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उक्त अधिनियम के तहत उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों का भी पालन करेंगे :–

(क) इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत दिए गए अधिकारों की जांच और समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुशंसा करना।

(ख) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संबंधी शिकायतों की जांच करना, और

(ग) उक्त बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियन की धारा 15 और धारा 24 के अधीन किए गए प्रावधानों के अनुसार आवश्यक उपाय करना।

2. उक्त आयोगों को उपधारा (1) के खंड (सी) के तहत नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बाल अधिकार से संबंधित किसी विषय में जांच करते समय वही शक्तियां होंगी, जो उक्त बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की क्रमश: धारा 14 और धारा 24 के अन्तर्गत उन्हें प्राप्त हैं।

3. जहां किसी राज्य में, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित नहीं किया गया है वहां उपयुक्त सरकार उपधारा (1) के खंड (सी) में वर्णित कार्यों का अनुपालन करने के लिए प्राधिकारी का गठन कर सकती है, जिसके लिए शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं।

32. **शिकायतों का निराकरण –**

(1) धारा 31 में वर्णित किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के तहत किसी बच्चे के अधिकार के सम्बन्ध में कोई शिकायत है, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित शिकायत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी, संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, मामले का तीन महीने के अन्दर निपटारा करेगा ।

(3) स्थानीय प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई व्यक्ति बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग को या यथास्थिति धारा 31 की उपधारा (3) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अपील दर्ज कर सकता है।

(4) उपधारा (3) के तहत अपील राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा धारा 31 की उपधारा (3) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास दर्ज की जा सकती है।

33. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन –

(1) केन्द्र सरकार, अधिसूचना द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन करेगी। जिसमें पंद्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार को, अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी रूप में कार्यान्वयन के लिए परामर्श देना राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का कार्य होगा।

(3) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते नियुक्ति की अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जो निर्धारित की जाएगी।

34. राज्य सलाहकार परिषद् का गठन–

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा एक राज्य सलाहकार परिषद् का गठन करेगी जिसमें पंद्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे। जैसा कि राज्य सरकार आवश्यक समझे जिनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बालक विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी।

(2) राज्य सरकार को, अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी रूप में कार्यान्वयन के लिए परामर्श देना, राज्य सलाहकार परिषद् का कार्य होगा।

(3) राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते, नियुक्ति के निबंधन और शर्तें निर्धारित की जाएंगी।

अध्याय 7

विविध बातें

35. निर्देश जारी करने की शक्ति –

(1) केन्द्र सरकार, यथास्थिति, उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी कर सकेगी और ऐसे निर्देश दे सकेगी जो वह इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु ठीक समझे।

(2) उपयुक्त सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में, स्थानीय प्राधिकारी या विद्यालय प्रबंधन समिति जो भी हो के लिए मार्गदर्शन दे सकेगी और ऐसे दिशा निर्देश दे सकेगी, जो वह ठीक समझे।

(3) स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए मार्गदर्शन और ऐसे दिशा निर्देश दे सकेगा जो वह ठीक समझे।

36. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी–

धारा 13 की उपधारा (2), धारा 18 की उपधारा (5) और धारा 19 की उपधारा (5) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए कोई भी व्यक्ति उपयुक्त सरकार की अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना दंडित नहीं किया जा सकता है।

37. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण–

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने वाली किसी बात के सम्बंध में कोई भी मुकदमा या अन्य विधिक प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंधन समिति या किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

38. उपयुक्त सरकार को नियम बनाने के अधिकार –

(1) उपयुक्त सरकार, अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्ट और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के बारे में होंगे :–

(क) धारा 4 के पहले प्रावधानों के तहत विशेष प्रशिक्षण देने के तरीके और उसकी समय-सीमा से संबधित;

(ख) धारा 6 के तहत किसी पड़ोसी विद्यालय की स्थापना के लिए क्षेत्रफल या सीमाओं संबंधी

(ग) धारा 9 के खंड (डी) के तहत चौदह वर्ष तक की आयु के बच्चों के रखरखाव के तरीके से संबंधित;

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) के तहत व्यय की प्रतिपूर्ति को तरीके और सीमा संबधी;

(ड) धारा 14 की उपधारा (1) के तहत बच्चे की आयु का निर्धारण करने हेतु कोई अन्य दस्तावेज;

(च) धारा 15 के अधीन प्रवेश लेने के लिए बढ़ाई गई अवधि और यदि बढ़ी हुई अवधि के पश्चात् प्रवेश लिया जाता है तो अध्ययन पूरा करने का तरीका;

(छ) धारा 18 की उपधारा (1) के तहत मान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन के प्रारूप तथा उनके देने के तरीके बारे;

(ज) धारा 18 की उपधारा (2) के तहत मान्यता प्रमाणपत्र का प्रारूप, अवधि, उसे जारी करने का तरीका और शर्तें;

(झ) धारा 18 की उपधारा (3) के दूसरे प्रावधान के तहत सुनवाई का अवसर प्रदान करने का तरीका;

(ण) धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (घ) के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्य;

(ट) धारा 22 की उपधारा (1) के तहत विद्यालय विकास योजना तैयार करने का तरीका

(ठ) धारा 23 की उपधारा (3) के तहत शिक्षक को देय वेतन और भत्ते और उसकी सेवा शर्तें;

(ड) धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (च) के तहत शिक्षक द्वारा किए जाने वाले कर्त्तव्यों का पालन;

(ढ़) धारा 24 की उपधारा (3)के तहत शिक्षकों की शिकायतों को दूर करने की तरीका;

(ण) धारा 30 की उपधारा (2) के तहत प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए प्रमाणपत्र देने का प्रारूप और तरीका;

(त) धारा 31 की उपधारा (3) के तहत प्राधिकरण, उसके गठन के तरीके और उसके लिए निबन्धन और शर्तों बारे;

(थ) धारा 33 की उपधारा (3) के तहत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तों बारे;

(द) धारा 34 की उपधारा (3) के तहत राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तों बारे;

(3) इस अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया और केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 20 और धारा 23 के तहत जारी प्रत्येक अधिसूचना बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, सत्र के दौरान, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाऐंगे। किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या अधिसूचना बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी।(समाप्त)

टिप्पणी : शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 का यह हिन्दी अनुवाद सर्व शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने पाठकों, अध्यापकों, अभिभावकों एवं स्कूल प्रबन्धन समितियों की सुविधा हेतु किया गया है। यह भारत के राजपत्र द्वारा प्रकाशित नहीं है।

पाठकों से...

पाठकगण अपने जिला, खण्ड, संकुल या स्कूल में चल रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में हमें सूचित करें। सर्व शिक्षा अभियान संबंधी यह पृष्ठ हर माह के अंतिम बुधवार को प्रकाशित किया जाता है। पाठकगण सर्व शिक्षा अभियान संबंधी किसी भी सुझाव व जानकारी के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं:–

राजेश शर्मा
राज्य परियोजना निदेशक,
राज्य परियोजना कार्यालय (सर्व शिक्षा अभियान),
डी.पी.ई.पी.भवन, लाल पानी, शिमला–171001

अनुवाद एवं प्रस्तुति : ज्योति रावत